समाज-कल्याण मंत्री द्वारा डा0 अम्बेडकर फाउंडशन के चेयरमैंन की हैसियत से बाबा अम्बेडकर की बायोग्राफी जो मराठी में श्री चन्ददेव खेरमोडे द्वारा लिखी गई थी, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 50 लाख रूपया सेंक्सन किया था, उसको रोक दिया गया।

डा. अम्बेडकर पब्लिक लाइब्रेरी योजना के क्रियान्वयन को रोकना सौ करोड़ की लागत से ब्रिटिश सेटिनरी कमेटी ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर एक अम्बेडकर नेशनल पब्लिक की योजना बनाई थी जिसे तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री वी.पी. सिंह की सहमति प्राप्त हो गई थी एंव प्लांनिंग कमीशन ने भी प्रोजेक्ट के लिए साढ़े पांच करोड़ की ग्रांट उसी समय दे दी थी जिसे आप द्वारा पहली मीटिंग में समाप्तप्राय कर दिया गया किन्तु बाद में आपने प्रोजेक्ट को एन.जी.ओज. जो आपके करीबी हैं, उनको दे दिया है।

श्री बी.एस. रामूवालिया, पूर्व समाज-कल्याण मंत्री द्वारा डॉफ अम्बेडकर फाउंडेशन की जनरल एंव गवर्निंग बॉडी बनाई गई थी जो अम्बेडकर विचार धारा के चिंतक एंव परिचित रहे जिसका कार्यकाल 31.3.2000 तक था किंतु महोदय द्वारा भाजपा की सरकार बनने पर उसे निरस्त करके पुनः उस बॉडी का निर्माण किया गया जिसमें अम्बेडकर विचाराधा से प्रेरित लोगों को नहीं रखा गया।

बाबा साहब के जीवन एंव मिशन पर आधारित भारत सरकार द्वारा बनाई जाने वाली फिल्मको 18.9.98 के बयान द्वारा रोक दिया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को दिए गए ऋण की ब्याज दर बढ़ा दी गई है। महोदय, इन समुदायों को 25 लाख व्यक्तिगत ऋण 4 प्रतिशत पर देने की व्यवस्था रही है । किंतु जब से आपकी सरकार बनी है, उसके 16.10.98 के बयान के अनुसार व्यक्तिगत ऋण की सीमा 25 लाख से घटा कर 5 लाख कर दी गई है और ब्याज की दर 4 प्रतिशत से बढ़ा कर 7 से 10 प्रतिशत तक कर दी गई है। इस समुदाय पर इसका बुरा असर पड़ रहा है । इसी प्रकार कुछ अन्य तथ्य है जो इस समाज के विरोध में माननीया मंत्री जी के द्वारा किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पी.सी. सेन को अनधिकृत रूप से पिछड़ा वर्ग निगम का चेयरमैंन बनाया गया है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Mr. Azad, please conclude. You have taken five minutes extra.

श्री गांधी आजाद : में अपना बात जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। आरक्षित वर्ग के अधिकारियों को हरैसमेंट किया जा रहा है । अनधिकृत रूप से पिछड़ा वर्ग निगम के फंड का भी दुरूपयोग किया जा सकता है। 8 करोड़ के धन का दुरूपयोग किया जा रहा है। 8 करोड़ के धन का दुरूपयोग फिल्म स्कैंडल पर और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के फंड को जनरल कैटेगरी के लोगों पर खर्च किया जा रहा है । इस प्रकार यह प्रमाणित है कि माननीय समाज-कल्याण मंत्री द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्धार एंव उत्थान के प्रति जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्धार एवं उत्थान के प्रति गंभीर न होकर मात्र पड़ियाली आंसू बहाने का कार्य किया जा रहा है। मैं सदन के माध्यम से इस विचारधारा में परिवर्तन की अपेक्षा रखते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व उपसभाध्यक्ष महोदय को समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जॉन एफ. फर्नांडिस) : धन्यवाद आजाद जी।

Now, there is a statement giving some information by the hon. Railway Minister. There has been a railway accident. It is a *suo motu* statement Honourable Railway Minister, please proceed.

STATEMENT BY MINISTER

Derailment of 8029 Down Kurla-Howrah Express

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): Mr. Vice-Chairman, Sir, 8029 Down Kurla-Howrah Express from Kurla to Howrah derailed at 5.40 hrs on 3rd December between Mhasawad-Shirsoli stations on Manmad-Jalgaon section of the Central Railway's Bhusaval Division.

The train engine and eleven coaches next to it derailed, of which five coaches capsized. *Prima facie,* the cause of the accident is weld failure.of rail. As a result of the above accident, five passengers died, eight suffered grievous injuries and ten passengers suffered simple injuries. As per the information received, three passengers were trapped inside the coaches, but they were able to see from outside. Only the down line has been | obstructed and single line working has been introduced via the up line. The

stranded passengers of the train invloved in the accident have been cleared to Bhusaval from where they will continue their journey.

The DRM along with the divisional officers from Bhusaval and the AGM along with the ' Principal Heads of Department from Mumbai have gone to the site. The Minister of State for Railways, Shri Ram Naik, along with

Member-Engineering, Member-Electrical, Railway Board, and the General Manager, Central Railway, has also rushed to the accident site by air.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): It is a very sad incident. We condole the death of those people who died and wish speedy recovery of those passengers who are injured in this accident.

Now. Mrs. Urmilaben Patel.

GOVERNMENT MOTION-RE. Thirtieth report of the commissioner for scheduled castes and scheduled tribes for the years 1989—91—*Contd.*

डा0 (श्रीमती) उर्मिला चिमनभाई पटेल (गुजरात) : धन्यवाद महोदय, सबसे पहले तो सरकार की इस रिपोर्ट के बारे में यह बताना चाहती हूं कि 1989-91 की रिपोर्ट दिसम्बर 1998 में हमारे सामने आ रही है- करीब साढ़े सात साल के बाद। सर, अब यह प्रोवीजन होना चाहिये कि सरकार के पास जब रिपोर्ट आए तो इसके दूसरे साल ही यह सदन में आ जाए जिससे इसके ऊपर जो कुछ हम चर्चा करें, वह अर्थपूर्ण रह सकें। सात साल पहले की बात पर आज चर्चा करने से इसका कोई मायना नहीं रहता है। समय तेजी से बदल जाता है। इसलिए यह प्रावधान करने की जरूरत है कि जितनी जल्दी हो सके, उतने टाइम बाउंड समय के मुताबिक उसको लेना चाहिये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं, कि हमारे देश में प्रणालिकागत सिर पर मैला ढोने की प्रथा प्रचलित थी और आज भी वह खत्म नहीं हो सकी है। यह हयूमीलेटिंग प्रथा है। महोदय, ज्यादातर महिलाएं ही सिर पर मैला लेकर जाती हैं और हाथ से सफाई करती है। यह हमारी मानवता के विरूद्ध है और आजादी के पचास साल के बाद भी हमारी पार्लियामेंट ने इसके बारे में सीरियसली कुछ ऐक्शन लेने के बोर में नहीं सोचा है। मैं तो ऐसा मानती हूं कि अगर केवल ऐसे ही हम प्रावधान करते रहेंगे, योजनाएं बनाते रहेंगे, कानूनों का प्रसार करते रहेंगे और अगले पचास साल भी चले जांएगे, फिर भी यह प्रथा हमारे समाज से नहीं जाएगी। सर, मैला ढोने वालों के लिए आल्टरनेटिव व्यवसाय की तालीम देने का प्रावधान किया गया है लेकिन यह कौन लेगा? जो थोड़े –बहुत पड़े-लिखें लोग हैं, वह अन्य व्यवसायों में जा सकते हैं लेकिन अनपढ़ महिलाएं उसका लाभ नहीं उठा पाती है। परिणाम यह होता है कि जो स्टेट्स यह कहती कि यह प्रथा हमारे यहां से निर्मूल हो गयी है, उन्हीं स्टेट्स में भी गैर-कानूनी तौर पर यह प्रथा प्रचलित है और स्टेट्स में भी गैर-कानूनी तौर पर यह प्रथा प्रचलित है और महिलाओं के पास और कोई व्यवसाय नहीं है इसलिए महिलाएं यह काम करने के लिए मजबूरन जाती है। इसके ऊपर बैन करने की जरूरत है। सर, मैं तो यह मानती हूं कि सरकार अगर इस पर बैन लगाएंगी, तभी आल्टरनेटिव व्यवसाय का उपयोग होगा किन्तु अगर कुछ करने की हमारी विल ही नहीं है तो सालों तक यह प्रथा चलती रहेगी। हम यहां बहस करते रहेंगे और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। सर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि अरपृश्यता निवारण की हम बात करते रहते हैं और जो दलित वर्ग है उनको भी सामान्य प्रवाह में लाने की बातें हम करते रहते हैं लेकिन यह प्रक्रिया – मैं ऐसा मानती हूं कि सदन्तर बंद है। हम जो योजनाएं बनाते हैं, वह योजनाएं इधर-उधर थोड़े से आर्थिक लाभ देकर हम पूरी कर देते हैं। कुछ फायदा हो गया, कुछ स्कॉलरशिप दे दिया, कुछ थोड़ी-बहुत नौकरियां दे दी गयी। कोई सैल्फ इम्लायमेंट की योजना बना दी गयी लेकिन जो देश का सामान्य प्रवाह है, उस सामान्य प्रवाह में उन्हें लाने के लिए हम उतने चिंतित नहीं है। परिणाम यह होता है कि हमारे देश में तो अलग-अलग वर्ग बन गये हैं, दो अलग-अलग कम्यूनिटी बन गयी है।

एक टचेबलस कम्युनिटी और दूसरी अन-टचोबिल्लस कम्युनिटी है और यह खाई दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारा एक और बटंवारे का रास्ता बन रहा है कि ये लोग अनटचेबल्स है, ये लोग टचेबल्स हैं? कम्युनिटी के बीच में यह जो डिफरेंस हो रहा है इसके बारे में भी हमें गम्भीरता से सोचना चाहिये।

दूसरी बात में यह बताना चाहती हूं कि जैसे-जैसे दलित वर्ग में जागृति आती है और वे अपने अधिकारों के लिए मांग करते हैं और जब मांग पूरी नहीं होती है